

सह आरोपीगण प्रदीप, पिंकी और बंटा की जमानत स्वीकार की जा चुकी है, उसका मामला उससे भिन्न नहीं है इसलिये उसे भी जमानत पर रिहा किया जावे। वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, समर्थन में शिवेन्द्रसिंहे का शपथपत्र पेश किया गया है।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्वारा बताया गया कारण बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं है अतः उसका जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने पर आपत्ति होना बताते हुए व्यक्त किया है कि आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल प्रकरण में फरार रहा है, वह जमानत का लाभ लेकर दुबारा फरार हो जायेगा, इसलिये उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक—13/05/2015 को यह प्रकरण गोहद तहसील में डकैती न्यायालय का गठन होने से अंतरण पर भिण्ड न्यायालय से प्राप्त हुआ था, उक्त पेशी पर आरोपी डब्बू उर्फ राजपाल अनुपस्थित रहा जिस कारण उसके जमानत मुचलके निरस्त किए गये और गिरफतारी वारण्ट से आहूत किया गया। एवं दि0—14/10/2015 को उसे फरार घोषित किया गया। प्रकरण में उपस्थित आरोपियों को निर्णय किया गया। प्रकरण में उपस्थित आरोपियों को निर्णय किया गया। जारी स्थाई गिरफतारी वारण्ट के पालन में आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल को दिनांक—24/01/2017 को गिरफतार कर पेश किया गया तब से वह न्यायिक निरोध में है।

आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल की अनुपस्थिति में अभियोजन साक्षी क्रमांक—01 लगायत—07 के कथन हुए हैं, उक्त साक्षीगण को पुनः तलब किया जा रहा है, जिससे प्रकरण में कार्यवाही दिलंबित हुई है। यदि आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल को पुनः जमानत का लाभ दिया गया तो उसके पुनः अनुपस्थित होकर फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वाद विचार आरोपी/आवेदक डब्बू उर्फ राजपाल की ओर से

> पी सी जियं विश्रेष न्यायाधीज (डकैती गोहद जिला- भिण्ड (भ प्र

Order Sheet [Contd]

Case No. 120 1.7

| | Case No. 14 | |
|-----------------------------------|--|---|
| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| | प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र के माध्यम से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—439 जा.फौ. गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना निरस्त किया जाता है। आवेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न हो। परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो। (पी०सी) आर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद | |